

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक-मंडी/प्रांगण/46/49/भू.मू.नि./ 663

भोपाल दिनांक 23/7/19

प्रति,

01 / संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर,  
उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा।

02 / कार्यपालन यंत्री  
तकनीकी संभाग  
भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन,  
उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, चम्बल,  
सागर, जबलपुर, रीवा।

विषय:- कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में निर्मित सरंचाना/ भूखण्डों के आवंटन की कार्यावाही के संबंध में।


.....00000.....

विषयांतर्गत लेख है, कि प्रदेश कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में निर्मित सरंचाना/ भूखण्डों के आवंटन की कार्यावाही मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानों के तहत किये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिये वर्तमान में प्रचलित बाजार मूल्य गाईडलाइन (Market Value Guideline) की स्थलवार दरों को दिनांक 01.07.2019 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में 20 प्रतिशत घटाकर लागू किया जाने के आदेश दिनांक 28.06.2019 जारी किये गये। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः मंडी प्रांगण में निर्मित रिक्त सरंचानाओं एवं भूखण्डों की कलेक्टर गाईडलाइन के आधार पर ऑफसेट वेल्यू का निर्धारण कर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानों के तहत आवंटन की कार्यावाही सुनिश्चित करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

  
(अशोक कुमार वर्मा)  
प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल दिनांक 23/7/19

क्रमांक-मंडी/प्रांगण/46/49/भू.मू.नि./ 664

प्रतिलिपि -

- 1 निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यावाही हेतु
- 3 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति..... (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यावाही हेतु

  
प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004


// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2019

क्रमांक बी-4-02/2019/2/पांच:: राज्य शासन एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018" के नियम 9-क के अंतर्गत आदेशित करता है कि वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए वर्तमान में प्रचलित बाजार मूल्य गाइडलाइन (Market Value Guideline) की स्थलवार दरों को दिनांक 01/07/2019 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में 20 प्रतिशत घटाकर लागू किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(एस.डी.रिछारिया)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्रं. बी-4-02/2019/2/पांच  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 28 जून, 2019

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
  2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
  3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग, म.प्र. भोपाल।
  4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग।
  5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
  6. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  8. समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश।
  9. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव 28/6/19  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग